न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :— रामकरण सिंह, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0——86 / 2022

प्रविष्टि दिनांक——18.04.2022

1. रामजीलाल पुत्र भूरा जाति बैरवा उम्र 42 साल निवासी ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तहसील निवाई जिला—टॉक (राज०)
2. सूरेश पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तहसील निवाई जिला—टोंक (राज०)
3. रामप्यारी पत्नी भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तहसील निवाई जिला—टोंक (राज०)
4. काली पुत्री भूरा बैरवा निवासी ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तहसील निवाई जिला—टोंक (राज०)
5. नोरती पुत्री भूरा बैरवा निवासी ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तहसील निवाई जिला—टोंक (राज०)
6. गुड्डी पुत्री भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तहसील निवाई जिला—टोंक (राज०)

— प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार साहब तहसील निवाई जिला—टोंक (राज०) — अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 बाबत दुरुस्त किये जाने नाम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि खसरा नं. 218 रकबा 17 बिस्वा, ख.नं. 1248 / 11 रकबा 10 बीघा, ख.नं. 1248 / 8 रकबा 3 बीघा, ख.नं. 1254 / 5 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, वाकै ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तह० निवाई जिला टोंक में स्थित भूमि है। इस भूमि में प्रार्थीगण के पिता भूरा पुत्र छोटू का हक व हिस्सा जमाबन्दी अनुसार निहित है। यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता भूरा पुत्र छोटू के नामान्तकरण सं. 425 दिनांक 4—11—81 में भूरा पुत्र छोटू के बजाय प्रार्थीगण के पिता का नाम भंवर पुत्र छोटू राजस्व रिकार्ड में सहवन से अंकित हो गया जो गलत है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। यह कि प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड के अलावा सभी दस्तावेजों में भूरा पुत्र छोटू अंकित है जिसको प्रार्थीगण मुताबिक आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण—पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटरआईडी, एवं सभी दस्तावेजों के आधार पर अपने पिता की वल्दीयत भूरा पुत्र छोटू राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण को अपने पिता की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने में असुविधा कारित ना हो। यह कि भूरा पुत्र छोटू की मृत्यु चिनांक 19—12—2020 को हो चुकी है, और प्रार्थीगण ही एक मात्र मृतक भूरा पुत्र छोटू के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है इस कारण प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में भंवर पुत्र छोटू के स्थान पर दुरूस्त कर भूरा पुत्र छोटू किया जाना विधि संगत व न्याय संगत है। यह कि प्रार्थीगण ने उक्त नाम को दुरूस्त करने हेतु प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में श्रीमान के समक्ष उक्त वल्दीयत को दुरूस्त करने हेतु अनुरोध किया था परन्तु तहसीलदार साहब निवाई ने न्यायालय का आदेश लाने पर ही उक्त नाम को दुरूस्त करने का आश्वासन दिया है इस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना—पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि भूमि ग्राम करेडा बुजूर्ग तह० निवाई में स्थित होने से एवं मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से मान्य न्यायालय को उक्त प्रार्थना—पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। यह कि प्रार्थना—पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मयाद पेश है। अतः प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना—पत्र के चरण सं.1 में वर्णित भूमि में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता भंवर पुत्र छोटू के स्थान पर भूरा पुत्र छोटू दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश फरमाया जावे।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2070—73, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं पटवार हल्का करेड़ा बुजुर्ग की रिपोर्ट शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का एवं पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। बहस का अलग से विवेचन नहीं किया जा रहा है।

हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी का नाम भूरा पुत्र छोटू व भंवर पुत्र छोटू एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम बाबत भूमि खसरा नम्बर खसरा नं. 218 रकबा 17 बिस्वा, खं.नं. 1248/11 रकबा 10 बीघा, खं.नं. 1248/8 रकबा 3 बीघा, खं.नं. 1254/5 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, वाकै ग्राम करेड़ा बुजूर्ग तह० तहसील निवाई जिला टोंक, तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अलोक मे स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भंवर पुत्र छोटू के स्थान पर भूरा पुत्र छोटू अमल दरामद कर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 6/10/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी निवाई